उत्तर प्रदेश शासन

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-1

संख्या-19/2016/1768/43-1-2015-5(5)/2015

लखनऊ दिनांक 02 जून, 2016

<u>कार्यालय- ज्ञाप</u>

श्री इन्द्रदेव दुबे, सेवानिवृत्त सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रशासनिक सुधार अनुभाग-1 जो दिनांक 31-1-2016 को अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो गये हैं, के समान्य भविष्य निर्वाह निधि खाता संख्या-जी0ए0यू0-72655 में जमा धनराशि के 90 प्रतिशत भुगतान के संदर्भ में उनके खाते की पास बुक में की गयी प्रविष्टियों के आधार पर दिनांक अगस्त, 2015 तक कुल जमा धनराशि रू0 1,62,469/- के नब्बे प्रतिशत अर्थात रू0 1,46,222/- (रू0 एक लाख छियालिस हजार दो सौ बाईस मात्र) का अन्तिम भुगतान किये जाने की एतदद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त धनराशि श्री इन्द्रदेव दुबे, सेवानिवृत्त सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रशासनिक सुधार अनुभाग-1 के सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या-जी0ए0यू0-72655 में दी गई प्रविष्टियों के आधार पर उपलब्ध अवशेष रू0 1,62,469/- का 90 प्रतिशत अर्थात रू0 1,46,222/- है, जो 90 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

एस0एन0 शुक्ल

प्रमुख सचिव।

<u>संख्या- 19/2016/1768(1)/43-1-2015, तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (प्रथम) फन्ड-24, उ0प्र0 इलाहाबाद को श्री इन्द्रदेव दुबे, सेवानिवृत्त सहायक समीक्षा अधिकारी प्रशासनिक सुधार अनुभाग-1 उ0प्र0 सचिवालय के सामान्य भविष्य निधि पास बुक मूलरूप में इस आशय के साथ प्रेषित कि श्री इन्द्रदेव दुबे, सेवानिवृत्त सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रशासनिक सुधार अनुभाग-1 के समान्य भविष्य निर्वाह निधि संख्या- जी0ए0यू0-72655 में उक्त अंतिम भुगतान रू0 1,46,222/- का समायोजन अपने अभिलेख में कर शेष 10 प्रतिशत की धनराशि का अंतिम भुगतान करने हेतु प्राधिकार पत्र शीघ्र जारी करने का कष्ट करें।

2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

3- अनुभाग अधिकारी (लेखा) प्रशासनिक सुधार विभाग को एक अतिरिक्त प्रति सहित।

4- श्री इन्द्रदेव दुबे सेवानिवृतत सहायक समीक्षा अधिकारी, 633/सी-4, शान्ति विहार कालोनी, चिनहट लखनऊ।

5- कार्यालय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

भवेश रंजन

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।